



तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.03.2026	<p>पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पूर्व में दिनांक 24.02.2026 को प्रकरण में बहस सुनी गई थी। वकील प्रार्थी द्वारा भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर खसरा नंबर 3065 रकबा 0.49 है० स्थित वाके ग्राम सारसोप, तहसील चौथ का बरवाड़ा को प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज करवाने एवं खसरा नंबर 1024 में से नाम हटवाने हेतु निवेदन किया है।</p> <p>मैंने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा भू-प्रबंध विभाग द्वारा की गई अशुद्धी को शुद्ध करने हेतु निवेदन किया है। भू-प्रबंध विभाग की इस त्रुटी को लिपिकीय त्रुटी अथवा सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई ऐसी त्रुटि नहीं माना जा सकता, जिसे धारा 136 एल० आर० एक्ट के तहत परिवर्तित किया जा सके। धारा 136 एल० आर० एक्ट के तहत नक्शा शुद्ध किया जाना उचित नहीं है।</p> <p>अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थीगण सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु स्वतंत्र रहेंगे। निर्णय आज दिनांक 17.03.2026 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;"><b>उपखण्ड अधिकारी</b> <b>चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)</b></p>	<p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: right;"></p>